तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-6-16		

पत्रावली वाजरूरत मोड हदायत हैम्प बावडी पर
पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के कम्मन बाद
तामिल / रसद तामील प्राप्त नहीं हुई। वादी उपस्थित
नहीं। प्रतिवादीगण क्र० 1, 2, 3, 4 उपस्थित। प्रति
वादी क्र 1, 2, 3 व 4 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना
पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली
किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पर प्रतिवादीगण क्र01 से 4
ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। बहस के
दौरान प्रतिवादीगण के कथन किया कि ग्राम मेलियाक
तहसील मोडम में स्थित कागजी क 260 रकबा
3 बीघा 18 बिस्वा में से 1 बीघा 3 बिस्वा क्योंकि वर्तमान
खातेदार श्यामसुन्दर श्याम
विभाग की क्रमा/त्रुटिवंश
सु0 मोहन खाती के नाम दर्ज हो गयी थी। जिसके
लिये प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act
के तहत पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 479/14
दिनांक 9-12-14 को निर्णित हो चुका है। आदेश
की पालना में जरिये इन्तकाल संख्या 82 दिनांक
19-3-15 को प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। किन्तु
कब्जा लेने बाबत वाद दायर करा दिया है। इस
कारण वाद को खारिज किया जावे।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस
पर मनन किया गया। विवादित कागजियात
ग्राम मेलियाक तहसील मोडम में स्थित होकर
प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है जरिये इन्तकाल नम्बर
821 दिनांक 19-3-15 के द्वारा कागजी नं 260
रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा में से 260/1 रकबा
1 बीघा 3 बिस्वा जो कि मगना s/o रामा,
भैरु, बालू, लेहर s/o मगना, कायबी
s/o हजारी जाट साकिन ग्राम मपुरा के नाम

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मुण्डवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दर्ज करने की स्वीकृति हुई है. तथा उसी कटकाक तरमीम भी की जा चुकी है प्रार्थी का विवादित आराजियात से कोई लेना देना नहीं रहा है। क्योंकि प्रार्थी के नाम पूर्व में 3 बीघा 18 बिस्वा आराजी थी। जिसमें से 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण को बेचान कर दिया। इस आधार पर वादी की दादरसी 3 बीघा 18 बिस्वा की है ऐसी स्थिति में बाकी 1 बीघा आराजी पर के [illegible] बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया वह आराजी प्रतिवादीगण को बेचान किया जाकर प्रतिवादीगण के खातेदारी में आ चुकी है ऐसी स्थिति वादी वाद पत्र के माध्यम से किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. उपरोक्त विवेचन के आधार वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में नाकाम रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ - अतः ःः आदेश ःः वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में नाकाम रहने के कारण वादी का वाद पत्र धारा 183 R.T.A के खारीज किया जाता है. खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। बाद कार्य डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–बावड़ी तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–111/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री श्यामू उर्फ श्यामा पिता मोहन खाती, उम्र बालिग निवासी मेलियास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

वनाम

1–श्रीमति सायरी पुत्री हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी गोकलपुरा तहसील मांडल

2–श्री भैरू पिता मगना जाट, उम्र बालिग निवासी गोकलपुरा तहसील मांडल

3–श्री लेहरू पिता मगना जाट, उम्र बालिग निवासी गोकलपुरा तहसील मांडल

4–श्री बालू पिता मगना जाट, उम्र बालिग निवासी गोकलपुरा तहसील मांडल

5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ——प्रतिवादीगण

———

वादी की ओर से — एडवोकेट और प्रतिवादीगण की ओर से — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 2.6.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारीज किया जाता हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देवीसिंह रावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 2.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल